

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,
एच.सी. रोड, केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380019

स्थापना आदेश सं. - 49/2014

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2014

अपर महानिदेशक, राजस्व-आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई, अहमदाबाद से प्राप्त
क्र.सं. DRI/AZU/A-11011/01/2014-Estt. दिनांक: 01 अक्टूबर, 2014 के अनुसार मैं श्री देवांग के.
कंसारा, अधीक्षक (मु.आ.का.), केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद को उत्पन्न राजस्व-
आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई, अहमदाबाद में लोन बेसिस (Loan Basis) पर दो वर्ष की
अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

02. राजस्व-आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई, अहमदाबाद में कार्यरत रहने के दौरान श्री
देवांग के. कंसारा, अधीक्षक के वेतन-भत्ते मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क, अहमदाबाद में
द्वारा आहत किये जायेंगे एवं वह किसी विशेष भत्ते (Special Allowance)/प्रतिनियुक्ति भत्ते (Deputation
Allowance) के हकदार नहीं होंगे।

03. श्री देवांग के. कंसारा, अधीक्षक को अग्रे यह सूचित किया जाता है कि आकासीय सुविधा हेतु
उन्हें स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

04. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद के अनुमोदन से
जारी किया गया है।

(स. मन्मोहन कुमार रजनी)
अपर आयुक्त (मु.आ.का.)

दिनांक: 01.10.2014

क्र.सं. W/13-05/CCO/2014

संक्षिप्त लेखित :

1. अपर महानिदेशक, राजस्व-आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई, अहमदाबाद।
2. आयुक्त केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क, अहमदाबाद।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क, अहमदाबाद।
4. क्षेत्र एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क, अहमदाबाद।
5. वंचित विभाग।
6. नई कागज।
7. उपरीक्षण (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क, अहमदाबाद (इस आदेश के प्रतीक संख्यांक पर
उपरोक्त व्यक्तियों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है)।